



2026:AHC:52502

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3590 वर्ष 2026

काजल रानी एवं 8 अन्ययाचिकाकर्तागण

बनाम

भारत संघ एवं 5 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : किरण रानी, लालू यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., शिव कुमार पाल

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लालू यादव और प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना गया।
2. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. पाल ने तर्क दिया है कि इस न्यायालय के पास याचिकाकर्ता संख्या 3, 5, 6 और 8 के संबंध में वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 3, 5, 6 और 8 का चयन पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली और भोपाल में आयोजित किया गया था।
3. इस स्थिति का सामना करते हुए, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता संख्या 3, 5, 6 और 8 के संबंध में वर्तमान रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ वापस लेना चाहते हैं कि वे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में संपर्क कर सकें।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता संख्या 3, 5, 6 और 8 के संबंध में रिट याचिका को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज किया जाता है।
5. याचिकाकर्तागण की शिकायत यह है कि वे कांस्टेबल CAPFs, SSF और असम राइफल में राइफलमैन तथा एनसीबी परीक्षा-2025 में सिपाही के पद पर आयोजित चयन के अभ्यर्थी हैं। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार उनका परिणाम रोक दिया गया था, हालांकि, उनका डोजियर और संपूर्ण दस्तावेज फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं।
6. वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि फॉरेंसिक जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया जाए और प्रयोगशाला को जल्द से जल्द फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजने तथा नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाए।
7. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पाल का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता द्वितीय प्रतिवादी से संपर्क कर सकते हैं जो इस मामले को देखेंगे।
8. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को निर्देशित करते हुए यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन 27.03.2026 तक द्वितीय प्रतिवादी, महानिदेशक, सीआरपीएफ (भर्ती शाखा), ईस्ट ब्लॉक-07, लेवल-04, सेक्टर-01, आर.के. पुरम, नई दिल्ली (अपने महानिदेशक के माध्यम से) के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, तृतीय प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे।
9. यदि तृतीय प्रतिवादी की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो कागजात उन्हें प्रेषित कर दिए जाएं।
10. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

(विकास बुधवार, जे.)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मार्च 16, 2026

राजेश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।